क्र0 699–2जी0एस0–I–74/1747

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी ।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़ 27 जनवरी, 1975 ।

विषय :—तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा विभागीय परीक्षा पास करना वार्षिक वेतन वृद्धियों की प्राप्ति ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र क्र0 5927–(I)–एफ0 आर0 II–64/5302, दिनांक 30-6-1964 तथा हरियाणा सरकार के परिपत्र क्र0 2179–I एफ0 आर0–74/20509, दिनांक 11-6-74 में जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाऊं जिनमें यह व्यवस्था की गई थी कि तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि पंजाब सी0एस0आर0 भाग–I, खण्ड–I, के नियम 4.9 के तहत दी जाए । उपरोक्त हवाला दिए गए नियम अथवा वर्तमान हिदायतों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि क्या किसी पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसको लागू सेवा नियमों में विभागीय परीक्षा पास करने की व्यवस्था है बिना विभागीय परीक्षा पास किए वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त कर सकता है ।

2. इस मामले पर सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार किया है तथा यह निर्णय लिया है कि सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को वार्षिक वेतन प्राप्त करने से पहले विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा यदि इस पद के लिए लागू सेवा नियमों में विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य है । यदि कोई कर्मचारी ऐसे पद पर प्रोबिजनली तौर पर इस शर्त पर पदोन्नत कर दिया जाता है कि लोक सेवा आयोग/अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल की मंजूरी प्राप्त करनी होगी तब ऐसे कर्मचारी को भी वार्षिक वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा पास करने पर ही दी जाएगी ।

भवदीय,
हस्ता:
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति :—

1. वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा सरकार ।
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है ।

हस्ता/—
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा सरकार ।
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।